राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 25/05/2022 को संपन्न 409वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

----00----

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 409वीं बैठक दिनांक 25/05/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 408वीं बैठक दिनांक 24/05/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 408वीं बैठक दिनांक 24/05/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मंगल स्पंज एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा एवं मोहभट्ठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1493)

ऑनलाईन आवेदन– पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 62624/ 2021, दिनांक 10/04/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 72128/ 2010, दिनांक 26/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बिल्हा एवं मोहभट्ठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल क्षेत्रफल – 6.5 एकड़ में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की कुल लागत 41 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम.पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/11/2012 द्वारा इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। ई.आई.ए. अधिसूचना (यथा संशोधित), 2006 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19/11/2019 तक थी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के

लिए जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की गई है। शेष इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल की स्थापना का कार्य शेष है। वर्तमान में उद्योग की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत से अधिक का निर्माण कार्य किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति में संशोधन दिनांक 19/06/2020 को जारी की गई है।

- पूर्व में जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी बिल्हा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बिल्हा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बिलासपुर एयरपोर्ट 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 9 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace	2,680	10.18
2.	Rolling Mill Area	4,565	17.36
3.	Finished Good Area	1,643	6.24
4.	Raw Material Area	1,860	7.08
5.	Parking Area	2,400	9.12
6.	Road Area	2,600	9.88
7.	Greenbelt	10,556.6	40.14
Total		**26,304.6**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)		Source	Mode
		Existing	After expansion		
For Induction Furnace					
1.	Sponge Iron	63,171.2	1,26,342.4	Local	By Road (through

2.	Scrap	19,117.6	38,235.2	Market	covered trucks)
3.	Ferro Alloys	831.2	1,662.4		
For Rolling mil					
4.	Billets	-	1,23,000	In house Billets	Conveyor

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Proposed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	72,000 TPA	72,000 TPA	1,44,000 TPA
2.	Hot Charged Rolling Mill	-	1,05,000 TPA	1,05,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्थापित 2 नग इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं 1 नग चिमनी (उंचाई 30 मीटर) स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 2 नग इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं 1 नग चिमनी (उंचाई 30 मीटर) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत दोनों चिमनियों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादित एम.एस. बिलेट्स को हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल के माध्यम से रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा तथा शेष बिलेट्स को आस–पास की अन्य इकाईयों में विक्रय किया जाएगा। रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किया जाएगा। अतः इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 7,198 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत स्लेग – 14,396 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल – 5,400 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर डस्ट 1 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड ऑयल 200 लीटर ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को सीमेंट/ ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी अपनाई जाएगी। यूस्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा। अतः इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 41 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 6

घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 85 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 55 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है, जो दिनांक 18/12/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, रॉ–सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 15,272 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.06 हेक्टेयर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत) में 2,650 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	17.1	36.2	60
PM_{10}	42.6	82.5	100
SO_2	10.2	18.4	80
NO_X	13.0	21.8	80

पीएम$_{10}$ के इन्क्रीमेंटल डाटा की जानकारीः–

Impact				
Pollutants	Baseline Concentration (µg/m^3)	Incremental (µg/m^3)	Resultant (µg/m^3)	CPCB Norms
PM_{10}	82.5	1.43	83.93	100

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	50.9	61.4	75
Night L_{eq}	42.6	53.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 423 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 7.33 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 430.33 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.143 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है। यह बताया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से लगी हुई स्पंज आयरन इकाई है, जो कि आवेदित उद्योग के द्वारा ही स्थापित की गई एक पृथक इकाई है। स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों को कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त वृक्षारोपण को ले–आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की कुल लागत 41 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजाति के पौधों) इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (खसरा सहित) को ले–आउट में दर्शाते हुए ले–आउट प्लान ग्रीन बेल्ट सहित केएमएल फाईल के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी (सारणीबद्ध में) प्रस्तुत किया जाए।

10. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों को कॉमन बाउण्ड्री के

दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।

11. ई.एम.पी. (Environment management plan) का अवलोकन कर पुनःरीक्षित ई.एम.पी. प्रस्तुत किया जाए।

12. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स खम्हरिया डोलोमाईट डिपोजिट लाईम स्टोन्स (प्रो.– ज्ञानचंद प्रसाद अग्रवाल), ग्राम–खम्हरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1338)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 54325/ 2020, दिनांक 30/06/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/54325/2020, दिनांक 24/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खम्हरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 869/1, 869/2, 870, 871/1,2, 872, 873, 874, 875, 876/1, 876/2, 877, 878, 886(पार्ट), 887/2(पार्ट), 888, 899/2, 900, 901/1, 901/2, 902/1, 902/2, 906, 907/1, 907/2 एवं 907/3, कुल क्षेत्रफल–4.636 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/11/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.बी. पाठक, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा

तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खम्हरिया का दिनांक 20/09/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्कीम माईनिंग फॉर फर्स्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर ज्ञापन क्रमांक 2148/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.नं. 98/2015 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/806/गौण खनिज/ई–निविदा/न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 25/06/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.66 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/1885/ख.लि./न.क्र./2020 जांजगीर, दिनांक 31/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री ज्ञानचंद प्रसाद अग्रवाल के नाम पर है, जो छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–5/2012/12 नवा रायपुर दिनांक 11/10/2019 के अनुसार "उत्खनन पट्टाक्षेत्र में खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करें।" का उल्लेख है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 872, 875, 877, 906, 907/1, 907/2, 907/3 श्री उमेश प्रसाद अग्रवाल एवं खसरा क्रमांक 901/1, 901/2, 902/1 एवं 902/2 श्री प्रदीप तिर्की तथा शेष खसरा क्रमांक आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./1085 चांपा, दिनांक 15/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी बाराद्वार 10 कि.मी., स्कूल बाराद्वार 10 कि.मी. एवं अस्पताल चांपा 22.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.4 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 27,86,328 टन एवं माईनेबल रिजर्व 17,38,550 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.27 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर एवं मात्रा 79,270 घनमीटर है, जिसमें से 6,600 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं 72,670 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को स्वयं की लगी हुई भूमि क्षेत्रफल 4.08 एकड़ में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 50 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	1,50,000
द्वितीय वर्ष	1,50,000
तृतीय वर्ष	1,50,000
चतुर्थ वर्ष	1,50,000
पंचम वर्ष	1,50,000

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 54,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,09,400 रूपये, खाद के लिए राशि 11,250 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,18,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,92,650 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 6,92,160 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	14.49	38.23	60
PM_{10}	23.65	53.63	100
SO_2	9.26	34.82	80
NO_2	9.12	28.08	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	38.56	66.59	75
Night L_{eq}	30.41	48.92	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 49 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 25 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 74 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.067 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0 to 0.2) के भीतर है, होना बताया गया है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 04/10/2021 दोपहर 11:00 बजे स्थान – शासकीय हाई स्कूल खम्हरिया के परिसर, ग्राम–खम्हरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 10/12/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदानों के लगातार संचालन से ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण होता है जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। खदानों से खनिज के दिन–रात परिवहन से ग्राम की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी है, खदान संचालकों द्वारा सड़क मरम्मत एवं पानी छिड़काव नहीं करने के कारण पूरा क्षेत्र प्रदूषित रहता है।

ii. खदान किसानों के खेती योग्य जमीनो के बीच खोला गया है। खदान में होने वाले ब्लास्टिंग की वजह से खेतों में पत्थर गिरते हैं जिससे फसल को नुकसान होता है। ब्लास्टिंग से घरों में दरारे पड़ने लगी है।

iii. खदानों को निर्धारित सीमा से बहुत अधिक गहरा खोद दिया जाता है जिस कारण से ग्राम खम्हरिया के खेतों में पानी नहीं रहता है।

iv. खदान से खनिज के परिवहन के लिए भारी वाहनों के आवागमन से ग्रामीणों को सड़क में दुर्घटना का भय रहता है।

v. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान से निकलने वाले वाहन के कारण जो सड़क में गड्ढे हो गए है समय–समय पर सड़कों की मरम्मत और सड़कों पर दिन में दो बार पानी का छिड़काव टैंकर द्वारा किया जाएगा और ध्वनि प्रदूषण के लिए रात के समय खदानों का काम बंद रखा जाएगा।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा। ब्लास्टिंग का स्तर निम्न रखा जाएगा एवं ब्लास्टिंग दिन में एक ही बार किया जाएगा। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई की जाएगी।

iii. खदान को शासकीय नियम के सीमा से अधिक गहरा नहीं किया जाएगा।

iv. खदान से जो भी गाड़ियां निकलेगी उसे तारपोलीन शीट से ढ़ककर ही निकाला जाएगा। गांव से निकलते समय गाड़ियों की स्पीड कम होगी जिससे किसी को कोई शिकायत नही होगी।

v. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 2 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (413 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	14,868	1,480	1,480	1,480	1,480
	फेंसिंग हेतु राशि	11,66,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	3,120	330	330	330	330
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,68,000	1,68,000	1,68,000	1,68,000	1,68,000
कुल राशि = 21,31,828		**14,52,588**	**1,69,810**	**1,69,810**	**1,69,810**	**1,69,810**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता राशि रूपये 7,00,000/– होगी। समिति का मत है कि कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता राशि रूपये 7,00,000/– का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
153	2%	3.06	Following activities at nearby, **Village-Khamhariya**	
			Pavitra Van	10.19

			Nirman	
			Total	**10.19**
			Following activities at	
			Water Tank & Water supply Facility in Toilets for boys & Girls Govt. Middle School, **Village-Khamhariya**	0.22
			Water Cooler in School	0.17
			Water Cooler in PHC Center	0.17
			Total	**0.56**
			Grand Total	**10.75**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 36,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,700 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,26,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,30,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,89,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खम्हरिया के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 933/1, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

25. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम खम्हरिया के सड़कों के रख–रखाव हेतु प्रति माह 60,000/– रूपये ग्राम पंचायत खम्हरिया को दिया जाएगा एवं जल का छिड़काव नियमित किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रस्तुत फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता राशि रूपये 7,00,000/– का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब (उपरोक्तनुसार बिन्दु क्रमांक i, ii, iii, iv एवं v) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बरबसपुर फर्शी पत्थर माईन (प्रो.– श्री ओम प्रकाश चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1946)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 72490/2022, दिनांक 23/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद, खसरा क्रमांक – 215/1, कुल क्षेत्रफल – 0.82 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 6,100 टन (2,440.2 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओमप्रकाश चन्द्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 06/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 493/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.02/2019(3) महासमुंद, दिनांक 07/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 240/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.78 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 240/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक

क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, हास्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्षनिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल. ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1520/क/उ.प./ख.लि./न.क्र. 97/2020 महासमुंद, दिनांक 11/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2018 महासमुंद, दिनांक 13/04/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 13 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 520 मीटर, स्कूल ग्राम–बरबसपुर 930 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 9.05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.4 कि.मी. दूर है। महानदी 310 मीटर, मौसमी नाला 100 मीटर एवं तालाब 450 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,23,000 टन, माईनेबल रिजर्व 61,500 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 60,270 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,754 वर्गमीटर है। माईन पिट एवं हॉल रोड के बीच 10 मीटर सेफ्टी जोन छोड़ते हुए कुल 250 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,299 घनमीटर है, जिसमें से 972 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा एवं शेष मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। ओव्हर बर्डन की मोटाई 1.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,093 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रेम्प, हॉल रोड एवं पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु एवं शेष ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित कर रखा जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,027	षष्टम	6,027
द्वितीय	6,052	सप्तम	6,064
तृतीय	5,980	अष्टम	6,035
चर्तुथ	6,064	नवम	6,052
पंचम	6,100	दशम	5,871

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 550 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 240/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.78 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.82 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
   ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
   iii. Project proponent shall submit the Gram Panchayat NOC for usage of water.
   iv. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
   v. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
   vi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
   vii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.
   viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.
   ix. Project proponent shall submit the conservation plan of nearest seasonal nala.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स एपीएल अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.– श्री रोमी सहगल), ग्राम–रिंगनी एवं केसदा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार –भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1947)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 258026/2022, दिनांक 23/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–रिंगनी एवं केसदा, तहसील–सिमगा, ज़िला–बलौदाबाजार–भाठापारा स्थित खसरा क्रमांक – 41, 43, 51, 63, 70 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल – 34.75 हेक्टेयर, जी.पी. पाईप– 1,20,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, प्रिसीजन पाईप – 60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, स्पेशल पाईप – 1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, कारूगेटेड गेल्वेनाईज्ड शीट – 50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, हॉलो सेक्शन ब्लैक पाईप – 3,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, सीआरएफएच पाईप – 56,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं कलर कोटेड क्वाईल शीट – 2,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना हेतु विनियोग की कुल लागत 681.41 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल मित्तल, वाईस प्रेसीडेंट उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि आवेदित प्रकरण "बी–1" केटेगरी का है। आवेदित प्रकरण सेकेण्डरी मेटलर्जिकल प्रोसेस एवं घोषित औद्योगिक क्षेत्र में नही होने के कारण ऑनलाईन आवेदन "बी–1" केटेगरी (टी.ओ.आर.) के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में उनके द्वारा "बी–2" केटेगरी (पर्यावरणीय स्वीकृति) में ऑनलाईन आवेदन कर दिया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को वापस/निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को वर्तमान स्वारूप में वापस किया जाकर परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधन) प्रावधान के अंतर्गत विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स धामनसरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री वैभव सलूजा), ग्राम–धामनसरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1873)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 245604/2021, दिनांक 17/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–धामनसरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 79, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता – 63,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वैभव सलूजा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान फार्म–1, फार्म–1एम, प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं मॉडिफाईड क्वारी प्लान में रेत उत्खनन क्षमता 63,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है तथा फार्म–2 एवं क्वारी प्लान में रेत उत्खनन क्षमता 98,000 घनमीटर (1,66,600 टन) प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के अपस्ट्रीम में एनीकट स्थित होने के कारण न्यूनतम 500 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन क्षमता 98,000 घनमीटर (1,66,600 टन) प्रतिवर्ष के स्थान पर क्षमता 63,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त में सुधार कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। रेत उत्खनन क्षमता हेतु फार्म–2 में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 131/ख.लि.01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन निरंक है।
4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धामनसरा का दिनांक 05/12/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
6. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5969/खनि 02/रेत/संशो.उ.यो.अनु./न.क्र. 03/2020 नवा रायपुर, दिनांक 18/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।
7. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 132/ख.लि.01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
8. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 132/ख.लि. 01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय

राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

9. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री वैभव सलुजा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4007/ख.लि. 06/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 110/2021 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 10/01/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, आशय पत्र की अवधि में पारित आदेश दिनांक से पर्यावरण सम्मति प्राप्ति उपरान्त अनुबंध निष्पादन किये जाने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए, प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र. 10–1/2021/1416 राजनांदगांव, दिनांक 14/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 16.07 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

12. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धामनसरा 850 मीटर, स्कूल ग्राम–धामनसरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. तक पुल स्थित नहीं है। खदान के अपस्ट्रीम में एनीकट 290 मीटर की दूरी पर स्थित है।

13. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

14. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 310 मीटर, न्यूनतम 205 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 545 मीटर एवं खनन स्थल की औसत चौड़ाई – 90 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 26 मीटर है।

15. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई– 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई –2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 98,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत

नहीं की गई है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/03/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि उक्त लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby, **Village- Dhamansara**	
			Plantation at river bank near allotted area (600 meter) and the approach road (300 meter)	1.03
			Total	**1.03**

18. वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 31,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,03,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अधीन नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान से एनीकट 290 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार एनीकट अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से एनीकट की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः एनीकट की तरफ से खदान से 210 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार 28,000 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एनीकट की तरफ से खदान में 210 मीटर की लंबाई को गैर माईनिंग क्षेत्र रखने के पश्चात् नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 34 मीटर, न्यूनतम 26 मीटर है। समिति

का मत है कि नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को नक्शे में (25–25 मीटर के अंतराल में) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान (धामनसरा सेण्ड माईन) एवं जंगलेसर सेण्ड माईन के मध्य 700 मीटर की दूरी है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन क्षमता हेतु संशोधित फार्म–2 प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को नक्शे में (25–25 मीटर के अंतराल में) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स जंगलेसर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री वैभव सलूजा), ग्राम–जंगलेसर, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1879)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 245582/2021, दिनांक 20/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जंगलेसर, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1266/1, कुल क्षेत्रफल – 2.592 हेक्टेयर में है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाता है। खदान की उत्खनन क्षमता – 25,900 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वैभव सलूजा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत जंगलेसर को रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1266/1, कुल क्षेत्रफल–2.592 हेक्टेयर, क्षमता– 25,900 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 04/06/2018 को जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी।
   ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2020 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत जंगलेसर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री वैभव सलूजा के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।
   iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
   iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   v. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 144/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 29/01/2020 से दिनांक 28/01/2021 तक	5,805
दिनांक 29/01/2021 से दिनांक 28/01/2022 तक	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जंगलेसर का दिनांक 27/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख. प्रशा.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5967/खनि02/सा.रेत/उ.यो. अनु./न.क. 01/2020 नवा रायपुर, दिनांक 18/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 79/ख.लि. 01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 11/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 79/ख.लि. 01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 11/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री वैभव सलूजा के नाम पर है। लीज डीड 02 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/01/2020 से 28/01/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड विस्तारीकरण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र. 10–1/2021/1418 राजनांदगांव, दिनांक 14/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 16.02 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जंगलेसर 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–जंगलेसर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–जंगलेसर 1.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 225 मीटर, न्यूनतम 208 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 283 मीटर, न्यूनतम 262 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 105 मीटर, न्यूनतम 87 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 69,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह

की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 28/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर प्रस्तुत किये गये है। उक्त लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby, **Village- Janglesar**	
			Plantation at river bank near allotted area (400 meter) and the approach road (500 meter)	1.12
			Total	**1.12**

16. वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 450 नग पौधों के लिए राशि 33,500 रूपये, ट्री–गाड के लिए राशि 45,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 13,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,12,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अधीन नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 225 मीटर, न्यूनतम 208 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर की दूरी पर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी न्यूनतम 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2,920 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उपरोक्तानुसार संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार 2,920 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र

रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.3 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान (जंगलेसर सेण्ड माईन) एवं धामनसरा सेण्ड माईन के मध्य 700 मीटर की दूरी है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज डीड विस्तारीकरण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स लखना सेण्ड माईन (प्रो.– श्री अनिकेत सिंह राठौर), ग्राम–लखना, तहसील–अमनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1948ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 258318/2022, दिनांक 24/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–लखना, तहसील–अमनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 866, कुल क्षेत्रफल – 3 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की उत्खनन क्षमता – 59,968 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुधीर अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में सचिव, ग्राम पंचायत कोलियारी(ल.) को रेत खदान खसरा क्रमांक 866, कुल क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर, क्षमता–60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2018 को जारी की गई, जो जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी।

   ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोलियारी(ल.) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अनिकेत सिंह राठौर के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

   iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

   iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2111/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 30/03/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019–20	1,000
2020–21	12,000
2021–22 (दिनांक 24/02/2022 तक)	13,000

   vi. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is

later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोलियारी का दिनांक 15/06/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 657/खनि 02/रेत/उ.यो.अनु./न.क्र. 01/2022 नवा रायपुर, दिनांक 18/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/1785, दिनांक 23/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/1783, दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री अनिकेत सिंह राठौर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 04/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि दिनांक 04/01/2020 से दिनांक 03/01/2022 तक थी, तत्पश्चात् एक वर्ष अर्थात् दिनांक 04/01/2022 से 03/01/2023 तक की अवधि हेतु विस्तारित किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लखना 300 मीटर, स्कूल ग्राम–लखना 300 मीटर एवं अस्पताल नवापारा 4.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.45 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1,165 मीटर, न्यूनतम 1,070 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 203 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 201 मीटर, न्यूनतम 103 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 67 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.08 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 59,968 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.08 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारो ओर में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 24/12/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
31.5	2%	0.63	Following activities at Nearby Govt. Primary School, **Village- Lakhna**	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	0.1
			Pump (1HP)	0.1
			Pipeline & Installation	0.1
			UV Water Filter (50 litre)	0.15
			5 Year AMC	0.1
			Running water arrangement in toilet	
			Water tank (500 litre)	0.075

			Pipeline & Installation	0.125
			Total	**0.75**

15. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 1165 मीटर, न्यूनतम 1070 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 67 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4,750 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.525 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स शिवम हाईटेक स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.– श्री सुभाषचंद्र गुलाटी), लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, हथखोज, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1845)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी3 / 243274/2021, दिनांक 07/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईट इण्डस्ट्रियल एरिया, हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग, प्लाट नंबर – 4, 4/बी, 3/इ, 4/डी एवं 3 आई,

कुल क्षेत्रफल – 44,434.48 वर्गमीटर, पेंट उत्पादन क्षमता–1,440 किलोलीटर प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना हेतु विनियोग की कुल लागत 197.79 लाख होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीरज रहंगडाले, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** – एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/07/2016 द्वारा फेरो एलॉय क्षमता – 3,600 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

2. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा फेरो एलॉय क्षमता – 3,600 टन प्रतिवर्ष एवं इण्डस्ट्रीयल एण्ड डेकोरेटिव पेंट क्षमता–14,40,000 लीटर प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/02/2022 को जारी की गई है, जो दिनांक 08/03/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर स्थापित परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का क्षमता विस्तार एवं लेण्ड डायवर्सिफिकेशन नहीं किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा इण्डस्ट्रीयल एण्ड डेकोरेटिव पेंट क्षमता–14,40,000 लीटर प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति भी प्राप्त किया गया है। अतः वर्तमान में आवेदित पेंट उत्पादन इंटिग्रेटेड इकाई नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. पेंट उत्पादन का प्रोसेस फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यो की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि गतिविधियों का परीक्षण किया जा सकें।

6. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति है अथवा नहीं? के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से मार्गदर्शन लिया जाना उचित होगा।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति से छूट प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि

1. पेंट उत्पादन इंटिग्रेटेड इकाई नहीं है, इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. पेंट उत्पादन का प्रोसेस फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया जाए।

3. गतिविधियों का परीक्षण किये जाने हेतु विभिन्न कार्यो की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं? के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने बाबत् पत्र लेख किया जाए।

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स एनकेजे बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, एनएच–30, ग्राम–बुधवारा एवं राम्हेपुर, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1525)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 59925/2021, दिनांक 20/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 258587/2022, दिनांक 25/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–राम्हेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–बुधवारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97,125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन {एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु} **के स्थान पर** न्यू मोलासेस /ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन {एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु} करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना के विनियोग की कुल लागत 141.28 करोड़ होगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1354/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./इण्ड. /1525 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स एनकेजे बॉयोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–राम्हेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–बुधवारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97,125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश गौतम, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न संशोधन चाहा गया है:–

EC Reference	Existing	Amendment	Justification
Point 6. Raw Material (Page No. 3)	Molasses-C: 297 TPD **Or** Molasses-B heavy: 258 TPD **Or** Syrup (40-50° Brix): 315 TPD **Source:** From BSSUKM sugar factory + Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and other vendors In raw material also involved N,P – 120 kg/day turkey red oil (TRO) – 400 Kg/D	Molasses-C: 297 TPD **Or** Molasses-B heavy: 258 TPD **Or** Syrup (40-50° Brix): 315 TPD **Source:** From BSSUKM sugar factory + Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and other vendors Or Grains (Broken rice/ FCI rice), Maize, Sorghum: 190 TPD Source: Nearby open market In raw material also involved N, P – 120 kg/day & turkey red oil (TRO) – 400 Kg/D. In case of grain additional raw material Amylase 60 kg/day and Amyl glucosidase 90 kg/day involved.	In case of less\unavailability of Raw material (Molasses-C \B-heavy \ Syrup) from the BSSUKM and nearby sugar mills, the distillery will be operated on waste grains as feedstock. Distillery unit will install all the necessary arrangements to achieve Zero liquid discharge (ZLD)
III. Water Quality Monitoring and Preservation, point- vi	Raw spent wash generation from molasses-based distillery shall not exceed 08 liter per liter of alcohol produce. The concentrated spent wash generated from Multi-effect Evaporator shall be burnt in incinerator boiler Spent lees and process condensate shall be treated in effluent treatment plant (equalization tank. neutralization tank primary clarification, anaerobic treatment, aerobic treatment,	Raw spent wash generation from distillery shall not exceed 08 liter per liter of alcohol produce. a) In case of molasses/syrup based process: The spent wash generated from distillery unit shall treated in bio-methanation unit followed by Multieffect Evaporator followed by making of spent wash powder in spray dryer. b) In case of Grain	a) For molasses based process: Due to change in ZLD scheme (biomethanation followed by evaporation followed by dryer system). Biogas will be generated from effluent, which will reduce the fuel requirement of distillery or it will be converted in CBG (compressed bio gas which is a substitute to LPG). Distillery spent wash will be converted to

	secondary clarification, activated carbon filter, ultrafiltration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process Domestic waste water shall be treated in Sewage Treatment plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper disinfection.	based process: Slop/spent wash generated in process shall be treated through decantation followed by multiple effect evaporation (MEE) followed by Drying – converting to Cattle feed c) Other low strength effluent: Spent lees and process condensate shall be treated in effluent treatment plant (equalization tank. neutralization tank primary clarification, anaerobic treatment, aerobic treatment, secondary clarification, activated carbon filter, ultra-filtration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process. d) Sewage: Domestic waste water shall be treated in sewage treatment plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper disinfection.	powder form in spray dryer. SW powder is rich in potassium, nitrogen, phosphorus etc., therefore it is good for soil enrichment. SW powder contents 12-18% of potash, therefore, it will be sold to fertilizer manufacturing unit. b) For grain-based distillery: In case of less/unavailability of raw material (Molasses C heavy/ B heavy/ Syrup) from the BSSUKM and nearby sugar mills, the distillery will be operated on waste grains as feedstock, in this case to achieve ZLD Slop/spent-wash generated in process shall treated through decantation followed by multiple effect evaporation (MEE) followed by drying - converting to cattle feed.

2. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मोलासेस/शुगरकेन जूस/सिरप बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) तथा केप्टिव पॉवर जनरेशन (थ्रू इंसीनरेशन बॉयलर) क्षमता – 3 मेगावॉट हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 09/03/2022 को जारी की गई है।

3. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

Description	C-Heavy (m^3/day)	B-Heavy (m^3/day)	Syrup (m^3/day)	Grain (m^3/day)
Water Input				
Process water for fermentation & CO_2 Scrubber	700	686.5	432	**500**
Boiler feed water @24 TPH (capacity 30 MT/Hr)	577.5	483.5	400	**550**
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	**100**
For cooling towers makeup water	602	520	274	**445**

Other domestic usage	10	10	10	**10**
Daily utilize washing & others	86.5	158.5	94	**80**
Total water Input at Start-up	**2,076**	**1,958.5**	**1,310**	**1,685**
Water Output				
Spent lees (PR & Rect.)	120	120	120	**120**
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	**100**
Exhaust condensate	550	460.5	380	**480**
Process condensate	480	534	216	**383**
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	**122**
Total Water Output	**1,350**	**1,314.5**	**916**	**1,205**
Water loss				
CT Evaporation & drift losses	602	520	274	**445**
Domestic consumption losses	10	10	10	**10**
Boiler blow down & steam loss (to CPU)	27.5	23	20	**20**
Daily washing & others (Sent to CPU)	86.5	91	90	**90**
Total Water Loss	**726**	**644**	**394**	**565**
Recycle Streams				
Less recycle for RS dilution (after CPU)	120	120	120	**120**
Process condensate (after CPU)	547.55	534	216	**383**
Steam condensate recycled to boiler	550	460.5	380	**480**
Soft water for vacuum pump & others cooling water	100	100	100	**100**
Other effluent like boiler blow down, flower washing & WTP reject	133	185.5	114	**122**
Total recycling / re-utilization of water per day	**1,450.55**	**1,399.5**	**930**	**1,205**
Total Daily water requirement / input	**625**	**586**	**380**	**480**

4. फेस वॉटर एवं स्पेंट वॉश अपवहन व्यवस्था –

Raw Material	C-Heavy	B-Heavy	Syrup	Grain
Total Daily water requirement / input (m^3/day)	625	586	380	480
The fresh water requirement per lit of Alcohol including domestic water	7.81 lit/ lit of RS	7.32 lit/ lit of RS	4.75 lit/ lit of RS	6.0 lit/ lit of RS
Concentrated spent wash dry at spray dryer (m^3/day)	92.44 Sold as fertilizer	70 Sold as fertilizer	24 Sold as fertilizer	42.6 Sold as cattle feed
Water Balance has been revised for amendment, minimum water requirement is 4.75 lit/ lit of RS and maximum water requirement is 7.81 lit/ lit of RS. # The water requirement is reduced and it is below 8 lit/ lit of RS.				

5. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Waste	Quantity	Disposal	Remark
Yeast Sludge	25-27 TPA	Used as soil	Organic

		enriching material	
Cattle feed	42.6 TPD	Will be used as Cattle feed	Organic
Boiler ash	53.225 TPD	Sold to brick manufacturing units	Inorganic
Distillery Condensate Polishing Unit (CPU) Sludge	38-42 TPA	Mixed with soil	Organic/ Inorganic
Spent wash Powder	43.78 TPD	Given to fertilizer manufacturing units	Organic/ Inorganic
DG set spent oil	1-1.5 KL/annum	Will be given to authorised recycler	HW (cat 5.1)
Due to Changed scheme of ZLD, spent wash will be converted into powder, and sold to fertilizer manufacturing unit when grains are used as feedstock slop/spent wash will be converted into dry powder through dryer and ot is used as cattle feed.			

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – 01 नग फ्लुडाईज्ड बेड कम्बशन बॉयलर क्षमता 30 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। फ्युल हेण्डलिंग हेतु मेकेनाईज्ड विधि के साथ क्लोज्ड कन्व्हेयर बेल्ट लगाया जाना प्रस्तावित है। कोल स्टोरेज एरिया / यार्ड में कव्हर्ड शेड बनाया जाना प्रस्तावित है। कोल हेण्डलिंग क्षमता **7 टीपीएच** लगाया जाना प्रस्तावित है। मेकेनाईज्ड फ्युल हेण्डलिंग सिस्टम, लोडिंग / अनलोडिंग में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था की जावेगी। स्पेंटवाश लगभग 198.4 टन प्रतिदिन (160 घनमीटर प्रतिदिन), **कोयला लगभग 152 टन प्रतिदिन / बगास लगभग 245 टन प्रतिदिन** का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। यदि बगास किसी कारणवश प्राप्त नहीं होने पर कोयला / राईस हस्क का उपयोग किया जाएगा। पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन नियंत्रण हेतु बॉयलर में ई.एस.पी. की स्थापना एवं चिमनी की ऊंचाई 57 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। किण्वन (Fermentation) इकाई में कार्बन डाईआक्साईड स्क्रबर लगाया जाना प्रस्तावित है। जनित स्पेंटवाश को इंसीनरेटर में जलाया न जाकर स्प्रे–ड्रॉयर के माध्यम से स्पेंटवाश पाउडर में परिवर्तन कर खाद इकाई को प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। जनित फ्लाई ऐश, रॉ–मटेरियल को ढ़के हुये वाहनों से परिवहन तथा फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी में ऑनलाईन कंटिनुअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है।

7. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – संशोधन उपरांत 1.86 मेगावॉट के स्थान पर 3.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति हेतु 30 टन प्रतिघंटा क्षमता के बॉयलर से प्राप्त हाई प्रेसर स्टीम का उपयोग 03 मेगावाट क्षमता के स्थान पर 3.2 मेगावाट क्षमता के टर्बो जनरेटर से विद्युत उत्पन्न की जाएगी। टर्बो जनरेटर से प्राप्त लो प्रेसर स्टीम को डिस्टलरी इकाई में विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग डीजी सेट (1,000 केव्हीए एंव 500 केव्हीए) की स्थापना की जाएगी। समिति का मत है कि प्रस्तावित डी. जी. सेट की संख्या, क्षमता की जानकारी एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना आवश्यक है।

8. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि मोलासेस/ग्रेन बेस्ड आधारित डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना के संबंध में भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

- भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है:–

  "देश में जल ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए:** बी–शीरा, गन्ने का रस, घास के रूप में बायोमास, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मकई के कोष, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि),** शक्कर युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, चारा इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, आधिक्य के समय अनाज के कण। शैवाल युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है।"

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है:–

  "(क) इस अनुसूची की मद 5(छ क) में आने वाली परियोजनाओं के सिवाय;

  (ख) परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक शपथ–पत्र के रूप में स्व–प्रमाणन के अनुसार, पूर्ण रूप से केवल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु विद्यमान इकाई के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्राप्त कर चुकी चीनी विनिर्माण इकाइयों या एथनॉल के उत्पादन के लिए आसवनियों के विस्तार का श्रेणी "ख2" परियोजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा।

  परंतु यह कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि इस संवितरण व्यवस्था के अनुसार प्रदान की गई पर्यावरण स्वीकृति के आधार पर उत्पादित एथनॉल का उपयोग पूर्ण रूप से ईबीपी कार्यक्रम के लिए नहीं किया जा रहा है या एथनॉल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है या उक्त आसवनी उन अपेक्षाओं, जिनके आधार पर परियोजना का श्रेणी ख 2 परियोजना के रूप में मूल्यांकन किया गया है, को पूरा नहीं कर रही है तो पर्यावरण स्वीकृति को निरस्त माना जाएगा।"

  उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक है।

9. परियोजना के विनियोग की कुल लागत 141.28 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग के विभिन्न इकाईयों सहित 40 प्रतिशत वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।

2. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग का लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत तथा प्रस्तावित संशोधन से विनियोग की लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रस्तावित संशोधन अनुसार भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

6. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जल ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए:** बी–शीरा, गन्ने का रस, घास के रूप में बायोमास, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मकई के कोष, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि),** शक्कर युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, चारा इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, आधिक्य के समय अनाज के कण। शैवाल युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 के अनुसार केवल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.40 करोड़ को छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये उत्पादन की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 404वीं बैठक दो दिवसीय दिनांक 19/04/2022 एवं 20/04/2022 तथा 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 25/05/2022 द्वारा किया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार खदानें कार्य यथावत् जारी रखे जाने के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने बाबत्।

श्री मनिन्दर सिंह गरचा, अध्यक्ष राजनांदगांव क्रेशर संघ के पत्र दिनांक 01/04/2022 के संदर्भ में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 08/04/2022 को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष किये गये ऑनलाईन आवेदन के आधार पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार खदानें कार्य यथावत् जारी रखे जाने की सूचना के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

आवेदन लंबित रहने पर पट्टाधारकों को वित्तीय नुकसान होने के साथ ही खदानों में नियुक्त मजदूरों के समक्ष भी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस बाबत् पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं कोर्ट के संदर्भित आदेश को संज्ञान में लेते हुए खदान में कार्य उत्पादन तथा विक्रय सहित यथावत् जारी रखने की सूचना प्रस्तुत की गई है। साथ ही उचित मार्गदर्शन चाहा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 25/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. यह की, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा जिले में संचालित 150 से अधिक उत्खनिपट्टों को वर्ष 2016 से 2018 के मध्य प्रचलित नियमानुसार आवेदनोंपरांत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें पर्यावरण स्वीकृति की अवधि 31/03/2020 दर्षित है, जिसे कोविड–19 महामारी को संज्ञान में लेकर पृथक–पृथक आदेष से 31/03/2022 तक स्वतः विस्तारित कर दिया गया था।
2. यह की, पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 (23/03/2016 को संसोधित) अनुसार पूर्व में जारी पट्टो के अवधि का प्रथम स्वीकृति दिनांक से 30 वर्ष हेतु विस्तारण/नवीनीकरण अनुबंध पट्टा धारकों द्वारा संपादित कराया गया।
3. यह की, MoEF&CC द्वारा जारी आदेश क्रमांक J-11011/15/2012-IA. II(M) दिनांक 20/03/2015 (प्रति संलग्न) के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात पट्टा नवीनीकरण होने पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन की आवश्यकता नही है, एवं पर्यावरण स्वीकृति की अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे संज्ञान में लेते हुए मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, द्वारा ईस्टर्न मिनरल्स, झाँसी के प्रकरण को 30 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया, परन्तु सामान प्रकरण होने के उपरान्त भी छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय

पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, द्वारा आवेदकों के प्रकरण का निराकरण अद्यतन नहीं किया गया है।

4. राजनांदगांव जिले में MoEF&CC द्वारा मनोनित सक्षम प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में धारित पर्यावरण स्वीकृति 31/03/2020 (विस्तारित 31/03/2022) तक की सीमित अवधि हेतु जारी की गयी एवं निकटस्थ अन्य जिलों में पूर्ण पट्टा अवधि (30 वर्ष) हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई।

5. वर्तमान में पट्टेदारों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अवधि विस्तारण हेतु समस्त जानकारी पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।

6. श्रीमान जी से यह भी अनुरोध है कि कृपया सक्षम अधिकारी/विभाग को निर्देषित करें कि पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की अवधि की समाप्ति के बाद भी जब तक पट्टेदार का आवेदन राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष लंबित है/अस्वीकृत नहीं किया गया है, तब तक खदान से उत्पादन एवं विक्रय पूर्ववत् जारी रहने दें, चूँकि एमजीएम मिनरल्स विरूद्ध एसईआईएए एण्ड ओआरएस. के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेष दिनांक 24/12/2014 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि–

"a. EC in respect of mining projects for the entire project life subject to a max. period of 30 year.

b. Mining operations shall not be impeded on account of EC."

7. आवेदन लंबित रहने पर पट्टा धारकों को वित्तीय नुकसान होने के साथ ही खदानों में नियुक्त मजदूरों के समक्ष भी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इस बाबत् पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति एवं कोर्ट के संदर्भित आदेष को संज्ञान में लेते हुए खदान में कार्य उत्पादन तथा विक्रय सहित यथावत् जारी रखे जाने की सूचना प्रस्तुत है एवं उचित मार्गदर्षन अपेक्षित है। उत्खनन कार्य की निरंतरता बनाये रखने में सहयोग प्रदान कर हम सभी आवेदकगणों को अनुग्रहित करें।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में उल्लेखित वैधता की गणना पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से प्रारंभ कर पत्र में निर्धारित समाप्ति अवधि के पूर्व माईनिंग ऑपरेशन्स प्रारंभ कर लेने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता की गणना लीज डीड क्रियान्वयन दिनांक से रहेगी।

2. उपरोक्त कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 के पूर्व समाप्त हो चुकी है, उन परियोजनाओं को पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

3. उपरोक्त कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 को अथवा इस दिनांक के उपरांत वैध है, उन खनन परियोजनाओं में:–

(अ) ऐसे प्रकरण जिनमें खदानों की केटेगरी अद्यतन स्थिति में वही है, जो पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के समय थी, उनमें परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि हेतु फार्म–6 में आवेदन करना होगा।

(ब) ऐसे प्रकरण जिनमें खदानों की केटेगरी अद्यतन स्थिति में जिसकी स्थिति परिवर्तित हो रही (जैसे बी–2 से बी–1) है। उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में अवधि विस्तार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 के आधार पर किया जाना है अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि में विस्तार हेतु परियोजना प्रस्तावक को नवीन आवेदन करना होगा। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन लिया जाना उचित होगा।

पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में उपरोक्त अभिमत प्रस्तुत है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़